

30.08.2025
प्राथम्या की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश चौधरी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस जारी होकर तामिल करावे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 29.08.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

29/8

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठारीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 9/10/25 को पेश हो।

नाटिक नही के

- क) कुलुल चौधरी, अधिवक्ता न. 1 के अंतर्गत अधि.
- ख) देवेंद्र कुमार, अधिवक्ता न. 2 के अंतर्गत अधि.
- ग) देवेंद्र कुमार, अधिवक्ता न. 3 के अंतर्गत अधि.

9/10

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। अप्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 415 की तामिल हो चुकी है। वावजूद तामिल हाजिर नहीं हुए। अतः प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 415 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 173 में जवाब हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वारंते जवाब दिनांक 20/11/25 को पेश हो।

अध्यय प्रार्थना के अंतर्गत अधि. न. 1 के अंतर्गत अधि.

पूर्व दिशानुसार पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठारीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

30/8

6/11

पत्रावली पेश की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। पीठारीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वदिशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो।

नोटिस जारी
6/11/25

उपखण्ड अधिकारी, सीकर